

राजस्थान सरकार
कार्यालय सम्भागीय आयुक्त जोधपुर
क्रमांक कोर्ट/डीसी/विविध/2025/ 1889

दिनांक: 01.12.2025

प्रेषित,

श्रीमान् शासन सचिव,
कार्मिक विभाग,
राजस्थान-जयपुर।

विषय: विभागीय अपील संख्या 9/2021 अनवान श्री संजय जैन, अधिशाषी अभियन्ता बनाम जिला कलेक्टर, बाडमेर अन्तर्गत नियम 23 राज.सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के कम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि श्री संजय जैन, अधिशाषी अभियन्ता, ततः अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वाः अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा हाल-परियोजना खण्ड द्वितीय, पाली ने दिनांक 01.06.2021 को न्यायालय सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के समक्ष सीसीए नियम, 1958 के नियम 23 के तहत उक्त विभागीय अपील प्रस्तुत की गई है।

अपीलान्त ने उक्त अपील जिला कलेक्टर, बाडमेर के द्वारा सीसीए नियम, 1958 के नियम 17 के तहत पारित निर्णय क्रमांक प.1(1)कार्मिक/2020/10085 दिनांक 18.12.2020 से अपीलान्त की एक आगामी वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है जो कि प्रस्तुती दिनांक 01.06.2021 से वर्तमान में सुनवाई हेतु विचाराधीन है तथा सुनवाई हेतु दिनांक 26.11.2025 नियत है।

अपीलान्त श्री संजय जैन, अधिशाषी अधिकारी के पद पर पदस्थापित अधिकारी है, जो कि राज्य सेवा (राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा) स्तर के अधिकारी की श्रेणी में आते है। सीसीए नियम के नियम 23 (2) के तहत राज्य सेवा स्तर के अधिकारी की ओर से प्रस्तुत की गई विभागीय अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कार्मिक विभाग, राज्य सरकार में निहित होने तथा कार्मिक विभाग (क-3/जॉच) विभाग, जयपुर के परिपत्र दिनांक प.5 (2) (27) कार्मिक/क-3/2004 दिनांक 4.8.2006 के अनुसार राज्य सेवा स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत विचाराधीन विभागीय अपील कार्मिक विभाग को हस्तान्तरित करने के निर्देश प्रदत्त है।

अतः सीसीए नियम के नियम 23 (2) तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 4.8.2006 की पालनों में अपीलान्त अधिकारी श्री संजय जैन के अपील पर सुनवाई

RajKaj Ref No.:
19075355
eSign 1.0



Signature valid

Digitally signed by Laxmi Narayan
Bairwa
Designation: Joint Director
Date: 2025.12.01 16:51:50 IST
Reason: Approved

विभागीय अपील पर सुनवाई का क्षेत्राधिकार कार्मिक विभाग का होने से विचाराधीन अपील संख्या 09/2021 अनवान श्री संजय जैन बनाम जिला कलेक्टर, बाड़मेर की मूल पत्रावली एवं जिला कलेक्टर बाड़मेर की मूल पत्रावली निर्देशानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु हस्तान्तरित की जा रही है।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(एल.एन.बैरवा)

संयुक्त निदेशक

दिनांक: 01.12.2025

क्रमांक समसंख्यक/2025/ 1890-1891

प्रतिलिपि:—निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है।

1. जिला कलेक्टर, बाड़मेर।
2. श्री संजय जैन, अधिशाषी अभियन्ता, तत0 अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा0 अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बालोतरा हाल- परियोजना खण्ड द्वितीय, पाली

संयुक्त निदेशक

Signature valid.

Digitally signed by Laxmi Narayan Bairwa

Designation: Joint Director

Date: 2025.12.01 16:51:50 IST

Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
19075355

eSign 1.0